न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 83/2017

जीसीएमएस नम्बर– 2024/345

वाद दायरी दिनांक :– 06.10.2017

1. गफारखां

2– सतारखां

पुत्रगण स्व. कासमखां जाति कायमखानी निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

.....वादीगण

बनाम

1 श्रीमती बिस्मिला स्त्री

2 आमीनखां पुत्र

3 याकुब पुत्र

4 जमीला पुत्री

स्व. अलीमखां जाति कायमखानी निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।

5 जैतुन स्त्री

6 रसीद पुत्र

7 इमरान पुत्र

स्व. मुन्शीखां जाति कायमखानी निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

8 श्रीमती जैतुन स्त्री

9 सुमईया पुत्री

10 हीना पुत्री

स्व. मोतीखां जाति कायमखानी निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

11 सुरजा

12 कसरीया

पुत्रगण जीवन जाति दरोगा निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।

13– उप पंजीयक बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

14. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झझनू

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मंडावा, जिला-झुन्झुनूं

वकील वादीगण– श्री राजेश पुनियां एडवाकेट

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 14.08.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा के पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 23.03.2021 को माननीय न्यायालय भू– प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 30.07.2024 के द्वारा अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर समुचित साक्ष्य प्रापत कर वाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश पर प्रकरण में प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। वाद के संक्षेन तथ्य निम्न प्राकर से हैः– कि जमीन गत ख.न.58 तादादी 22 बीघा 17 विश्वा सरहद राजस्व ग्राम महनसर पुरानी तहसील झुझुनूं वर्तमान तहसील मलसीसर में स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र पहले तत्कालीन ठिकाना के पाना महनसर के ठाकर रघुवीर सिहं की जमीन थी। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र को तत्कालीन ठिकाना से लगान के बदले काश्त हेतु वादी के दादा जी नन्दुखां पुत्र महनुखां जाति कायमखानी निवासी महनसर ने प्राप्त की थी तथा उक्त नन्दुखां ने जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का लगान तत्कालीन ठिकाना को अदाकर उक्त जमीन को बतौर टीनेन्ट काबिज काश्त रहा। इस प्रकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आने पर उक्त जमीन का खातेदार बाई आपरेशन आफॅ ला वादी का दादाजी नन्दुखां हुआ। उक्त नन्दुखां का देहान्त सन् 1956 में हो चुका है। उक्त नन्दुखां के दो पुत्र अलीमखां एंव कासमखां पैदा हुये। उक्त नन्दुखां के देहान्त होने के बाद जमीनं वर्णित धारा 1 वाद पत्र उत्तराधिकार में सयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर उसके पुत्र अलीमखां एंव कासमखां तथा स्त्री पैपी को प्राप्त हुई तथा प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/3 हक हिस्सा हुआ। उक्त नन्दुखां की स्त्री पैपी का भी देहान्त हो चुका है। उक्त पैपी के देहान्त होने के बाद उसके 1/3 हक हिस्सा की जमीन उसके पुत्र अलीमखां एंव कासमखां को प्राप्त हुई। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त नन्दुखां के पुत्र अलीमखां एंव कासमखां प्रत्येक का 1/2 हक हिस्सा हुआ।यह कि उक्त नन्दुखां के पुत्र अलीमखां का भी करीब 20 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त अलीमखां का 1/2 हक हिस्सा था। उक्त अलीमखां के चार पुत्र मुंशीखां, मोतीखां, आमीनखां व याकुबखां पैदा हुये तथा एक पुत्री जमीला प्रतिवादीया नं. 4 पैदा हुई। उक्त अलीमखां के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में सेउसके 1/2 हक हिस्सा की जमीन सयुक्त रूप से महिस्सा बराबर उसकी स्त्री प्रतिवादीया नम्बर 1 व पुत्र प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 तथा पुत्री प्रतिवादीया नम्बर 4 तथा पुत्र स्व मुन्शीखां एंव मोतीखां को प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त अलीमखां के चारों पुत्र एंव पुत्री तथा स्त्री प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/12 हक हिस्सा हुआ।उक्त अलीमखां के पुत्र मुंशीखां का भी देहान्त हो चुका है। विवादित जमीन में उक्त मुंशीखां का 1/12 हक हिस्सा था। प्रतिवादी नम्बर 5 से 7 स्त्री व पुत्र होने से उक्त मुंशीखां के वारिस है। उक्त मुंशीखां के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उसके 1/12 हक हिस्से की जमीन उतराधिकार में प्रतिवादी नम्बर 5 से 7 को सयुक्त रूप से प्राप्त हुई।उक्त मुंशींखा के पुत्र मोतीखां का भी देहान्त हो चुका है।जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त मोतीखां का 1/12 हक हिस्सा था। उक्त मोतीखां का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी नम्बर 8 से 10 उक्त मोतीखां के वारिस हैं। उक्त मोतीखां के देहान्त होने के बाद जमीन

उपखण्ड अधिकारी
मंडावा, जिला-झुन्झुनूं

वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उसके 1/12 हक हिस्से की जमीन उतराधिकार में प्रतिवादी नम्बर 8 से 10 को सयुंक्त रूप से प्राप्त हुई। उक्त नन्दु के पुत्र कासमखां का भी देहान्त हो चुका है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उक्त कासमखां का 1/2 हक हिस्सा था। उक्त कासमखां की स्त्री का देहान्त कासम खां के जीवनकाल में हो चुका था। उक्त कासमखां के दो पुत्र वादीगण नम्बर 1 व 2 पैदा हुये। उक्तकासमखां के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 बाद पत्र में से उसके 1/2 हक हिस्सा की जमीन उतराधिकार में सयुंक्त रूप से बहिस्सा बराबर वादीगण नम्बर 1 व 2 को प्राप्त हुई एंव इसी मुताबिक काबिज काश्त है व रहे हैं। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के सम्बन्ध में पहले वादीगण के दादाजी नन्दुखां, ने तत्कालीन सहायक कलेक्टर झुझुनूं के यहां मुकदमा उनवानी नन्दुखां बनाम सुरजा मु.न. 65/1957 पेश किया जो वाद पत्र उक्त न्यायालय द्वारा दिनाकं 06.12. 1958 को डिक्रीकर नन्दुखां के पुत्र अलीमखां एंव कासमखां एंव स्त्री पैपी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त नन्दुखां के पुत्र अलीमखां एंव कासमखां ने मु.न. 65/57 उनवानी नन्दुखां बनाम सुरजा नन्दुखां के देहान्त होने के बाद उनवानी अलीमखां बनाम सुरजा में पारित निर्णय व डिकी दिनांकित 06.12.1958 की प्रति तहसीलदार व पटवारी हल्का को देकर निर्णय व डिकी के मुताबिक नामान्तरकरण स्वीकृत बाबत उपलब्ध करवा दी थी तब सम्बन्धित तहसीलदार एंव पटवारी हल्का ने उक्त अलीमखां एंव कासमखां को आश्वसत किया कि निर्णय व डिकी के मुताबिक नामान्तरकरण स्वीकृत हो जायेगा इस कारण पहले उक्त अलीमखां एंव कासमखां ने यह सोचा कि निर्णय व डिकी के मुताबिक उनका नाम राजस्व रिकार्ड में आ गया होगा।इस कारण पहले उन्होनें जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया तथा बाद में उनके वारिसान ने भी जमीन जैर बहस कजे राजस्व रिकार्ड की तरफ ध्यान दिया।यह कि बादीगण को माह जनवरी 2017 के प्रथम सप्ताह में जमीन जैर बहस के गलत राजस्व रिकार्ड के बारे में पता चला तो बादीगण ने समस्त राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तथा मुकदमा नं. 65/1957 के बाद पत्र एंव उसमें पारित निर्णय व डिकी की नकल प्राप्त कर दिनाक 12.04 2017 को प्रतिवादी नम्बर 14 को निर्णय व डिकी के मुताबिक नामान्तरकरण स्वीकृत बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी नम्बर 14 ने वादीगण के निवेदन को इन्कार कर सक्षम न्यायालय में रेगुलर दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी इस कारण मौजुदा वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। जमाबन्दी सम्वत 2012 में वादीगण के दादा जी नन्दुखां पुत्र महनुखां का नाम उप कृषक के तौर पर दर्ज है तथा कृषि काल 9 वर्ष दर्ज कर रखा है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र की खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में उक्त जमीन की काश्त वादीगण के दादा जी नन्दु पुत्र महनुखां के नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2016 में भी नन्दुखां के नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 में नन्दु फौत के बाद उसके पुत्र अलीमखां एंव कासिम खां के नाम काश्त दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 2019 में भी उक्त जमीन की काश्त उक्त नन्दु के पुत्र अलीमखां एंव कासिम के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 में भी उक्तानुसार काश्त दर्ज है।जमीन गत ख.न. 58 तादादी 22 बीघा 17 विश्वा के बाद में दो बट्टा नम्बर गत ख.न. 58/1 तादादी 16 बीघा 4 विश्वा एंव ख.न. 58/2तादादी 6 बीघा 13 विश्वा बने। जमीन गत ख.न. 58 में से कोई रेल्वे लाईन नहीं है तथा ना ही जमीन गत ख.न. 68 में से कोई जमीन रेल्वे के लिये अधिग्रहण की गई। राजस्व रिकार्ड में ख.न. 58/2 तादादी 6 बीघा 13 विश्वा जमीन रेल्वे के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जमीन गत ख न. 58/1 तादादी 16 बीघा 4 विश्वा जमीन पहले गलत

उपखण्ड अधिकारी
मंडावा, जिला-झुन्झुनूं

रूप से जीवन पुत्र हुक्मा दरोगा तथा वाद में सुरजा पुत्र जीवन के नाम तथा उसके वाद केसुराम पुत्र जीवनराम के नाम गलत दर्ज कर दी। गलत राजस्व रिकार्ड से वादीगण पावन्द नहीं है व गलत राजस्व रिकार्ड वादीगण के हक हकुक के विरूद्ध शुन्य है एंव निष्प्रभावी है।जमीन गत ख.न. 58/1 तादादी 16 वीघा 4 विश्वा के दौराने पैमाईश हाल ख.न. 78 रकबा 2.20 हैक्टर व ख.न. 79 रकबा 1.90 हैक्टर बने।मौजुदा वाद पत्र में सिर्फ जमीन हाल ख.न. 78 रकबा 2.20 हैक्टर व हाल ख.न. 79 रकबा 1.90 हैक्टर ग्राम महनसर का ही विवाद है।यह कि जमीन गत ख.न. 58/2 रकबा 6 वीघा 13 विश्वा हाल ख.न. 78/1424 रकबा 0.81 हैक्टर तथा ख.न. 79/1424 रकबा 0.87 हैक्टर जमीन रेल्वे विभाग की नहीं है। उक्त जमीन वादीगण की कब्जे काश्त की है। लेकिन उक्त जमीन के वावत वादीगण अलग से कार्यवाही करेगें।यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 10 का जमीन हाल ख.न. 78 व 79 में 1/2 हक हिस्सा था। प्रतिवादी नम्बर 1 से 10 ने जमीन हाल ख.न. 78 व 79 में से अपने 1/2 हक हिस्सा की जमीन का मौखिक हिबा दिनाकं 10.05.2015 को ग्राम महनसर में मौजिज व्यक्तियों समक्ष वादी नम्बर 1 के हक में कर दिया। वादी नम्बर 1 ने उक्त हिवा स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जमीन हाल ख.न. 78 व 79 में वादी नम्बर 1 का 3/4 हक हिस्सा है तथा वादी नम्बर 2 का 1/4 हक हिस्सा है एंव इसी मुताविक खातेदार काश्तकार घोषित होने के हकदार हैं। यह कि कानुन से डिकी की पालना का कानुनी समय 12 वर्ष है। दिनाकं 06.12.1958 से डिकी की पालना का कानुनी समय निकल चुका है। इस कारण मौजुदा वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी नम्बर 11 व 12 पूर्व वाद में पक्षकार थे तथा प्रतिवादी नम्बर 12 का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी है। इस कारण पक्षकार दावा बनाया गया है। दावा हाजा के लिये वाद कारण दिनाकं 12.04.2017 को तव पैदा हुआ जव तहसीलदार मलसीसर प्रतिवादी नम्बर 14 ने सक्षम न्यायालय अदालत हाजा में रेगुलर दावा पेश कर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी तव वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।मौजुदा वाद पत्र में प्रतिवादी नम्बर 13 लोक सेवक है। कानुन से लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80रू1रू जा.दी. के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है यदि प्रतिवादी नम्बर 13 को दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जाता है तो दावा की नोयत ही बदल जावेगी वादीगण का दावा अर्जेन्ट नेचर का है इसलिय न्यायालय श्रीमान की इजाजत से विना दो माह पूर्व का नोटिस दिये दावा पेश कियाजा सकता है। इसलिये धारा 802. जा. पी. के तहत विना दी माह पूर्व का नोटिस दिये बावा पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अतः दावा मय शपथ पत्र एव डुप्लीकेट प्रति के पेशकर निवेदन है कि

क– वाद वादीगण डिकी किया जाकर जमीन हाल ख.न. 78 रकबा 2.20 हैक्टर, हाल ख.न. 79 रकबा 1.90 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम महनसर तहत तहसील मलसीसर में से दावा में दर्ज निर्णय व डिकी दिनांकित 06.12. 1958 मु.न. 65/1957 की रोशनी में वादी न. 1 को 3/4 हक हिस्से का तथा वादी नं. 2 को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

ख– प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वे जमीन जैर बहस को विकय नहीं करें रहन नहीं रखें विकय पत्र पंजीबद्ध नहीं करें तथा वादीगण के कब्जा काश्त एंव उपयोग व उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावा, जिला-झुन्झुनूं

ग– अन्य सिद्ध जो वादीया के हक में हो तथा भुल से चाही जाने से रह गई हो हस्ब कायदा दिलवाई जावे।

माननीय न्यायालय भू– प्रवंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 30.07.2024 के द्वारा उभय पक्षारान को न्यायालय हाजा में दिनांक 30.07.2024 को पेश होने के आदेश दिये गये है। वाद में न्यायालय हाजा के द्वारा प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट नोटिस जारी किये गये है । कोर्ट नोटिस की तामिल उपरान्त भी कोई पेश नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

" पूर्व में वादी पक्ष की ओर से वादी न0 01 द्वारा साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का शपथ पेश किया हुआ है । प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर दस्तावेत प्रर्दश –1 जमावन्दी सम्वत 2012, प्रर्दश –2 जमावन्दी सम्वत 2016–19,,प्रर्दश–3 जमावन्दी सम्वत 2024–27, प्रर्दश –4 जमावन्दी सम्वत 2029–31, प्रर्दश –5 जमावन्दी सम्वत 2032–35, प्रर्दश–6 जमावन्दी सम्वत 2041–44, प्रर्दश–7 मिलान क्षेत्रफल प्रर्दश–8 जमावन्दी वर्ष 2006, प्रर्दश– 9 जमावन्दी 2064, प्रर्दश–10 खसरा गिरदावरी 2009–2012, प्रर्दश– 11 खसरा गिरदावरी 2015–18, प्रर्दश –12 मुकदमा उनवानी नन्दुखां वनाम सुरजा मु.न. 65/1957 की आदेशिक , प्रदर्श –13 वाद पत्र , प्रर्दश– 14 कायममुकाम प्रार्थना पत्र, , प्रर्दश – 15 जवाव दावा , प्रर्दश –16 मुकदमा उनवानी नन्दुखां वनाम सुरजा मु.न. 65/1957 की वाद पत्र, प्रर्दश –17 मुकदमा उनवानी नन्दुखां वनाम सुरजा मु.न. 65/1957 प्रतिवादी पक्ष का जवाव दावा , प्रर्दश –18 मुकदमा उनवानी नन्दुखां वनाम सुरजा मु.न. 65/1957 में कायम तनकीयात, प्रर्दश –19 मुकदमा उनवानी नन्दुखां वनाम सुरजा मु.न. 65/1957 वयान गवाह, प्रर्दश –20 मुकदमा उनवानी नन्दुखां वनाम सुरजा मु.न. 65/1957 डिकी की प्रति, डाले हुए है।

विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष के निवेदन पर की वाद पर सीधे वहस श्रवण की गई। दौराने वहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन हाल ख.न. 78 रकवा 2.20 हैक्टर, हाल ख.न. 79 रकवा 1.90 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम महनसर तहत तहसील मलसीसर में से दावा में दर्ज निर्णय व डिकी दिनांकित 06.12. 1958 मु.न. 65/1957 की रोशनी में वादी न. 1 को 3/4 हक हिस्से का तथा वादी नं. 2 को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोपित किया जाने का आदेश प्रदान करें क्योकि प्रतिवादी न0 01 लगायत 10 ने मौखिक हिवा कर उक्त भूमि वादीगण दे दी है। अतः उक्तानुसार खातेदार घोपित कर अन्तिम डिकी पारित की जावें।

मिसल में मौजुद तहसीलदार मलसीसर की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख.न. 78 व 79 पर वादी गण का कब्जा काश्त है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में उक्त जमीन की काश्त वादीगण के दादा जीं नन्दु पुत्र महनुखां के नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2016 में भी नन्दुखां के नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 में नन्दु फौत के बाद उसके पुत्र अलीमखां एंव कासिम खां के नाम काश्त दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 2019 में भी उक्त जमीन की काश्त उक्त नन्दु के पुत्र अलीमखां एंव कासिम के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 में भी उक्तानुसार काश्त दर्ज है। सम्वत 2012 की जमावन्दी में उक्त वादग्रस्त आराजी वादी पूर्वज नन्दू खां उप कृपक के रूप दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय न्यायालय सहायक

उपखण्ड अधिकारी
पंडावा, जिला-झुन्झुनूं

घोषित किया गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त वादग्रसत आराजी के भूमि ख.न. 78 व 79 पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम महनसर के भूमि हाल खसरा नं.78 रकबा 2.20 हैक्टर, ख.न. 79 रकबा 1.90 में दर्ज खातेदार का नाम हजफ किया जाकर हजफ सम्पूर्ण हिस्से में से वादी संख्या 01 गफ्फार को 3/4 हिस्सा , वादी न0 02 सतार को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मंडावा, जिला-झुन्झुनूं

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 83/2017 जीसीएमएस न0 2024/345 गफ्फार खां नाम बिस्मिल्ला खां

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 14.08.2025 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है।वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम महनसर के भूमि हाल खसरा नं.78 रकबा 2.20 हैक्टर, ख.न. 79 रकबा 1.90 में दर्ज खातेदार का नाम हजफ किया जाकर हजफ सम्पूर्ण हिस्से में से वादी संख्या 01 को 3/4 हिस्सा , वादी न0 02 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.08.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मंडावा, जिला-झुन्झुनूं